HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON MONDAY, THE $15^{\rm TH}$ MARCH, 2021 AT 02.00 P.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. BUDGET FOR THE YEAR 2021-2022.

GENERAL DISCUSSION on the Budget Estimates for the year 2021-2022.

III. PRESENTATION OF REPORT OF THE ASSEMBLY COMMITTEE.

THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS to present the 81st Report of the Committee on Public Accounts for the year 2020-2021 on Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 2017-18 and on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) and State Finances for the year ended 31st March, 2018.

IV. <u>LEGISLATIVE BUSINESS</u>.

(i) (Bill for introduction, consideration and passing)

The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2021

A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill;

Also to introduce the Bill.

to move that the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once:

Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills to be introduced)

1. The Haryana Short Titles Amendment Bill, 2021

A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana Short Titles Amendment Bill:

Also to introduce the Bill.

 The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021

A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana Recovery of Damages to Property During

Disturbance to Public Order Bill;

Also to introduce the Bill.

3. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2021 A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill.

(iii) (Bills for consideration and passing)

1. The Haryana Municipal A MINISTER to move that the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, Corporation (Amendment) Bill be taken into 2021 consideration at once; Also to move that the Bill be passed. 2. The Haryana Municipal A MINISTER to move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2021 (Amendment) Bill be taken into consideration at Also to move that the Bill be passed. 3. The Haryana Enterprises A MINISTER to move that the Haryana Enterprises Promotion Promotion (Amendment) Bill, (Amendment) Bill be taken into consideration at 2021

Also to move that the Bill be passed.

4. The Haryana Yog Aayog Bill, A MINISTER to move that the Haryana Yog Aayog Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH: THE 12TH MARCH, 2021.

RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 मार्च, 2021 को 2.00 बजे मध्याहन—पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>प्र</u>श्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. वर्ष 2021-2022 के लिए बजट

वर्ष 2021—2022 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।

III. विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर—सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) तथा राज्य वित्तों पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर तथा वर्ष 2017—18 के लिये हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों / वित्त लेखों पर वर्ष 2020—2021 के लिए लोक लेखा समिति की 81वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

IV. विधायी कार्य

(i) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2021

एक मंत्री

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा संक्षिप्त नाम **एक मंत्री** संशोधन विधेयक, 2021 हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

हिरयाणा लोक व्यवस्था एक मंत्री
में विघ्न के दौरान
सम्पत्ति क्षति वसूली
विधेयक, 2021

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

3. हरियाणा पंचायती राज एक मंत्री (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

(iii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा नगर निगम **एक मंत्री** (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

2. हरियाणा नगरपालिका **एक मंत्री** (संशोधन) विधेयक, 2021 यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

3. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति एक मंत्री (संशोधन) विधेयक, 2021

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन)

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

4. हरियाणा योग आयोग **एक मंत्री** विधेयक, 2021

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा योग आयोग विधेयक पर

तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़: 12 मार्च, 2021.

राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।